NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 29-04-2025

विषय सूची

OTT प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री का विनियमन

11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक

नौसेना के लिए राफेल-एम जेट पर भारत, फ्रांस के बीच अंतर-सरकारी समझौता

जैव-संसाधन केंद्र स्थापित करने के लिए दिशानिर्देश

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को कर छूट का दर्जा मिला

हरित हाइड्रोजन उत्पादन

ग्रीनहाउस गैसों उत्सर्जन तीव्रता का लक्ष्य

संक्षिप्त समाचार

टाइक्सियन रीफ (सैंडी के रीफ)

उच्चतम न्यायालय ने कहा, 'शरिया कोर्ट' को कोई कानूनी मान्यता नहीं है

SMILE कार्यक्रम

LAC की जियोटैगिंग

हमारे महासागर पहल को पुनर्जीवित करें

सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व (STR)

शहरी शोर से निपटने के लिए मकड़ियाँ जाल बनाती हैं: अध्ययन

SIPRI द्वारा सैन्य व्यय रिपोर्ट

पद्म पुरस्कार

OTT प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री का विनियमन

संदर्भ

- हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफार्मों और सोशल मीडिया पर यौन रूप से स्पष्ट सामग्री को विनियमित करने की याचिका के संबंध में केंद्र सरकार और अन्य हितधारकों को नोटिस जारी करके एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है।

भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का तेजी से विकास

- भारत में ओवर-द-टॉप प्लेटफ़ॉर्म के तेज़ी से विकास ने मनोरंजन में क्रांति ला दी है, जिससे लाखों दर्शकों को विविध सामग्री मिल रही है।
- इंटरनेट की बढ़ती पहुँच, किफ़ायती डेटा और उपभोक्ता की पसंद में बदलाव के साथ, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म डिजिटल मीडिया खपत में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे हैं।

वर्तमान विनियामक ढाँचा

- **आईटी नियम, 2021:** OTT प्लेटफ़ॉर्म सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 द्वारा शासित होते हैं।
    - ये नियम सामग्री वर्गीकरण, अभिभावकीय नियंत्रण और तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र को अनिवार्य करते हैं।
- **सामग्री वर्गीकरण:** सामग्री को आयु उपयुक्तता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि U (यूनिवर्सल), U/A 7+, यU/A 13+ और A (वयस्क)।
    - प्लेटफ़ॉर्म को सामग्री रेटिंग प्रदर्शित करनी चाहिए और वयस्क सामग्री के लिए अभिभावकीय लॉक प्रदान करना चाहिए।
- **शिकायत निवारण:** तीन-स्तरीय तंत्र में प्लेटफ़ॉर्म द्वारा स्व-विनियमन, एक उद्योग-स्तरीय निकाय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B) द्वारा निगरानी शामिल है।
    - नेटफ्लिक्स और अमेज़ॅन प्राइम जैसे प्लेटफ़ॉर्म डिजिटल प्रकाशक सामग्री शिकायत परिषद् (DPCGC) जैसे स्व-नियामक ढाँचे का पालन करते हैं।
- **ओवर-द-टॉप प्लेटफ़ॉर्म विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2021:** इसमें देश में OTT प्लेटफ़ॉर्म पर हिंसक, अपमानजनक और अश्लील वेब सीरीज, फिल्में या ऐसी अन्य समान सामग्री दिखाने पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने और उससे जुड़े मामलों के लिए एक ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफ़ॉर्म विनियामक प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव है।
    - हालाँकि, 17वीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही यह विधेयक समाप्त हो गया।
- **सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 (OTT प्लेटफ़ॉर्म के लिए संशोधन):** सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 में प्रस्तावित संशोधन OTT प्लेटफ़ॉर्म को थिएटर फिल्मों के समान नियामक ढाँचे के तहत लाने की माँग करते हैं, डिजिटल सामग्री को आयु-आधारित प्रमाणन और सेंसरशिप मानदंडों के अधीन करते हैं ताकि मीडिया प्रारूपों में समानता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप और अवलोकन

- सर्वोच्च न्यायालय की एक बेंच ने इस मुद्दे की गंभीरता को स्वीकार किया, लेकिन इस बात पर बल दिया कि भारत में ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म का विनियमन कार्यपालिका और विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है।
- अपूर्व अरोड़ा बनाम दिल्ली सरकार (2024) मामले में, न्यायालय ने अश्लीलता निर्धारित करने के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंडों की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें भाषा की कथित शालीनता के बजाय इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया कि क्या सामग्री यौन या कामुक विचार जगाती है।
- हालाँकि, व्यक्तिपरक व्याख्या एक चुनौती बनी हुई है।

विनियमन में चुनौतियाँ

- **स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के बीच संतुलन:** ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म रचनात्मक स्वतंत्रता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जिससे सेंसरशिप एक विवादास्पद मुद्दा बन जाता है।
    - अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जिम्मेदार कंटेंट गवर्नेंस के बीच संतुलन बनाना एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है।

- **वैश्विक प्लेटफॉर्म, स्थानीय मानदंड:** कई ओटीटी प्लेटफॉर्म वैश्विक संस्थाएँ हैं, जो भारत-विशिष्ट नियमों के प्रवर्तन को जटिल बनाती हैं।
- **बड़े पैमाने पर सामग्री:** प्रतिदिन अपलोड की जाने वाली सामग्री की विशाल मात्रा निगरानी और विनियमन को एक कठिन कार्य बनाती है।

प्रस्तावित उपाय

- **कठोर दिशा-निर्देश:** सरकार स्पष्ट सामग्री और उसकी पहुँच पर ध्यान केंद्रित करते हुए सख्त सामग्री दिशा-निर्देश प्रस्तुत कर सकती है।
- **बढ़ी हुई निगरानी:** सामग्री की निगरानी और नैतिक मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की भूमिका को मजबूत करना।
- **राष्ट्रीय सामग्री नियंत्रण प्राधिकरण :** आपत्तिजनक सामग्री को विनियमित करने और इसके अप्रतिबंधित प्रसार को रोकने के लिए एनसीसीए की स्थापना की आवश्यकता है।
- **सार्वजनिक जागरूकता:** जिम्मेदार उपभोग को बढ़ावा देने के लिए दर्शकों को सामग्री रेटिंग और अभिभावकीय नियंत्रण के बारे में शिक्षित करना।

Source: IE

11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक

संदर्भ

- ब्राजील की अध्यक्षता में 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक 2025 में घोषणापत्र को अपनाया गया है।

परिचय

- यह बैठक "अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण के सहयोग को मजबूत करना" के नारे के तहत आयोजित की गई थी।
- घोषणा में दो महत्त्वपूर्ण विषयों को संबोधित किया गया है: "कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और कार्य का भविष्य" और "कार्य संरचना पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और एक न्यायसंगत संक्रमण"।
- घोषणा में ब्रिक्स देशों को निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध किया गया है:
  - समावेशी AI नीतियों को बढ़ावा देना जो नवाचार को श्रमिक सुरक्षा के साथ संतुलित करती हैं।
  - निष्पक्ष जलवायु परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक संवाद को आगे बढ़ाना।
  - श्रम शासन, डिजिटल समावेशन और हरित रोजगार सृजन पर दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूत करना।
- एक प्रमुख निर्णय नीति वेधशाला का निर्माण था, जो सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा पर अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए एक मंच है।

श्रमिकों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता श्रम संबंधों को मौलिक रूप से बदल रही है:** जबकि प्रौद्योगिकी नए अवसर सृजित करती है, यह रोजगार विस्थापन और बढ़ती असमानताओं जैसे जोखिम भी लाती है।
  - मंत्रियों ने ब्रिक्स देशों के बीच असमानताओं पर चिंता व्यक्त की, विशेष रूप से डिजिटल बुनियादी ढाँचे तक पहुँच, शिक्षा की उपलब्धता और गुणवत्ता में।
- **सुभेद्य समूहों पर ध्यान देना:** महिलाएं, युवा, वृद्ध श्रमिक, विकलांग व्यक्ति स्वचालन और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के कारण होने वाले व्यवधानों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं।
- **जलवायु परिवर्तन और रोजगार:** कम कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन चुनौतियों और रोजगार सृजन के अवसर दोनों प्रस्तुत करता है। लाखों हरित रोजगार सृजित किये जा सकते हैं, लेकिन केवल उचित प्रशिक्षण के साथ।

सुझाव

- कार्यबल पुनः कौशल कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।
- विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच साझेदारी को मजबूत करना।

- डिजिटल साक्षरता और भविष्य के लिए तैयार कौशल विकास में निवेश करना।
- चरम जलवायु परिस्थितियों के संपर्क में आने वाले श्रमिकों की सुरक्षा के लिए व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों को अद्यतन करना।
- कार्यबल को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए अनुकूली रणनीतियों में निवेश करना।

निष्कर्ष

- श्रमिक संघों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने अधिक न्यायसंगत वैश्विक शासन की आवश्यकता पर बल दिया और गरीबी को दूर करने तथा सभ्य कार्य को बढ़ावा देने के लिए आईएमएफ और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं में सुधार का आह्वान किया।
- उन्होंने असफलताओं को रोकने के लिए जलवायु वित्तपोषण और नीतियों के महत्त्व को भी रेखांकित किया।

BRICS

- ब्रिक्स एक संक्षिप्त नाम है जो पाँच प्रमुख उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के समूह को संदर्भित करता है: ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ़्रीका।
- मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात नए पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हो गए हैं।
- यह शब्द मूल रूप से अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा 2001 में गढ़ा गया था। ब्रिक्स विश्व के पाँच सबसे बड़े विकासशील देशों को एक साथ लाता है, जो वैश्विक जनसंख्या का लगभग 41%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 24% और वैश्विक व्यापार का लगभग 16% प्रतिनिधित्व करते हैं।
- **आर्थिक विकास:** सभी सदस्यों को 2024 में 1.1% से 6.1% (IMF) तक की दर से बढ़ने का अनुमान है।
- **उत्पत्ति:** एक औपचारिक समूह के रूप में, BRIC की शुरुआत 2006 में G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के हाशिये पर सेंट पीटर्सबर्ग में रूस, भारत और चीन के नेताओं की बैठक के बाद हुई।
    - 2006 में न्यूयॉर्क में UNGA के हाशिये पर BRIC विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान समूह को औपचारिक रूप दिया गया था।
    - प्रारंभ में, समूह को BRIC कहा जाता था क्योंकि 2010 में दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल किया गया था और तब से इसे BRICS के रूप में संदर्भित किया जाने लगा।
- **शिखर सम्मेलन:** 2009 से BRICS राज्यों की सरकारें औपचारिक शिखर सम्मेलनों में वार्षिक मिलती रही हैं।
- BRICS देश तीन स्तंभों के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ आए हैं: राजनीतिक और सुरक्षा, आर्थिक और वित्तीय और सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच आदान-प्रदान।
- **नया विकास बैंक:** पहले इसे BRICS विकास बैंक के रूप में जाना जाता था, यह BRICS राज्यों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। बैंक ऋण, गारंटी, इक्विटी भागीदारी और अन्य वित्तीय साधनों के माध्यम से सार्वजनिक या निजी परियोजनाओं का समर्थन **करेगा।**

Source: PIB

नौसेना के लिए राफेल-एम जेट पर भारत, फ्रांस के बीच अंतर-सरकारी समझौता

संदर्भ

- भारत और फ्रांस ने भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल-एम लड़ाकू जेट खरीदने के लिए लगभग 64,000 करोड़ रुपये मूल्य के अंतर-सरकारी समझौते (IGA) को औपचारिक रूप से संपन्न किया।
    - G2G रक्षा खरीद का एक तरीका है जिसमें आयातक देश की सरकार और निर्यातक देश की सरकार के बीच सीधी बातचीत सम्मिलित है।

समझौते की प्रमुख विशेषताएँ

- डिलीवरी 2028 के मध्य से प्रारंभ होगी और 2030 तक पूरी होने की संभावना है।

- इसमें 26 राफेल-एम विमान शामिल हैं, इसमें फ्रांस और भारत दोनों में चालक दल के सदस्यों का प्रशिक्षण भी शामिल है।
- पैकेज में भारतीय वायु सेना के मौजूदा राफेल बेड़े के लिए अतिरिक्त उपकरण शामिल हैं।
- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:** ToT में राफेल विमान पर एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज (BVR) एयर-टू-एयर मिसाइल जैसे स्वदेशी हथियारों के एकीकरण का प्रावधान है।
  - इसमें भारत में राफेल के लिए उत्पादन सुविधा की स्थापना, साथ ही विमान के इंजन, सेंसर और हथियारों के लिए रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (MRO) सुविधाएँ भी शामिल हैं।
- **महत्त्व:** इस पहल से भारत में हजारों नौकरियाँ पैदा होने और कई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए महत्त्वपूर्ण राजस्व उत्पन्न होने की संभावना है।

भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं का आधुनिकीकरण

- भारतीय नौसेना वर्तमान में दो विमानवाहक पोतों का संचालन करती है: INS विक्रमादित्य, जिसे रूस से खरीदा गया था, और INS विक्रांत, जिसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था और 2022 में चालू किया गया था।
  - ये वाहक वर्तमान में मिग-29K लड़ाकू जेट का संचालन करते हैं, जिनमें से 45 रूस से खरीदे गए थे।
- उनकी कम उपलब्धता दर और उनके सेवा जीवन के अंत के कारण, नौसेना ने वाहक-आधारित लड़ाकू जेट के एक नए बेड़े का अधिग्रहण करने की माँग की।
  - हालाँकि मूल योजना 54 जेट प्राप्त करने की थी, लेकिन स्वदेशी ट्विन इंजन डेक-आधारित फाइटर (TEDBF) विकसित करने के DRDO के प्रस्ताव के बाद यह संख्या घटाकर 26 कर दी गई।
- भारतीय सशस्त्र बलों को अमेरिका के साथ हुए एक समझौते के तहत 31 एमक्यू-9बी सशस्त्र हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम भी प्राप्त होंगे।
  - 31 आरपीएएस में से, जिन्हें सी गार्डियन के रूप में भी जाना जाता है, 15 नौसेना के लिए और आठ-आठ सेना और भारतीय वायुसेना के लिए हैं। इनकी डिलीवरी जनवरी 2029 और सितंबर 2030 के बीच निर्धारित है।

Source: TH

जैव-संसाधन केंद्र स्थापित करने के लिए दिशानिर्देश

समाचार में

- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत जैव-इनपुट संसाधन केन्द्रों की स्थापना के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएँ

- **वित्तीय सहायता:** प्रति BRCs 1 लाख रुपये, 50,000 रुपये की दो किस्तों में प्रदान की जाती है। सहायता में शेड, भूमि किराया या स्थायी बुनियादी ढाँचे जैसी लागतें शामिल नहीं हैं।
- **BRCs का उद्देश्य:** क्लस्टर-स्तरीय उत्पादन और प्राकृतिक खेती के जैव-इनपुट की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना।
  - प्राकृतिक खेती से संबंधित प्रथाओं और समाधानों के प्रसार के लिए ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करना।
  - स्थानीय मृदा , फसलों और भूमि-उपयोग पैटर्न के अनुसार जैव-इनपुट तैयार करना।
- **पात्रता:** BRCs को पहले से ही प्राकृतिक खेती करने वाले उद्यमी समूहों द्वारा चलाया जाना चाहिए।
  - यदि उपलब्ध नहीं है, तो राज्य प्राकृतिक खेती सेल संक्रमण के लिए इच्छुक किसानों की पहचान करेगा और उन्हें शामिल करेगा।
- **वहनीयता फोकस:** उत्पादित और बेची जाने वाली इनपुट छोटे और सीमांत किसानों के लिए सस्ती होनी चाहिए।
- **अन्य योजनाओं के साथ एकीकरण:** 10,000 FPOs के गठन और संवर्धन, खाद्य तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन आदि जैसे कार्यक्रमों के साथ अभिसरण पर जोर।

NMNF के अंतर्गत BRC दिशानिर्देशों का महत्त्व

- BRCs स्थानीय स्तर पर तैयार इनपुट का उत्पादन और आपूर्ति करेंगे।
- क्लस्टर आधारित सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देंगे, बाजारों तक पहुँच बढ़ाएंगे और लागत कम करेंगे।
- BRCs गुणवत्तापूर्ण इनपुट और क्षेत्र-विशिष्ट फॉर्मूलेशन सुनिश्चित करके प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ाने में सहायता करेंगे।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF) के बारे में

- **प्रकार:** केंद्र प्रायोजित योजना
- **नोडल मंत्रालय:** कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
- **लॉन्च तिथि:** 25 नवंबर, 2024
- **प्राथमिक उद्देश्य:** खेती की प्रकृति-आधारित, टिकाऊ प्रणालियों को बढ़ावा देना
- रासायनिक इनपुट पर निर्भरता कम करना
- **कार्यान्वयन लक्ष्य (आगामी 2 वर्ष):** इच्छुक ग्राम पंचायतों के 15,000 समूहों में लागू किया जाएगा
    - 1 करोड़ किसानों तक पहुँचना
    - 7.5 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को कवर करना

Source: DTE

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को कर छूट का दर्जा मिला

समाचार में

- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड 46A के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) को एक प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित करके कर छूट प्रदान की है।

आयकर अधिनियम की धारा 10 के बारे में

- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 में विभिन्न प्रकार की आय के बारे में बताया गया है, जिन्हें करों से छूट दी जा सकती है, जिसका लक्ष्य कुछ संस्थाओं पर वित्तीय भार को कम करना है।
- इस धारा में खंड (46A) उन वैधानिक निकायों या प्राधिकरणों को कर छूट प्रदान करता है, जो केंद्रीय या राज्य अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं, जब तक कि वे सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए काम कर रहे हैं।
- यह नियम इन प्राधिकरणों को आयकर दायित्वों से मुक्त करके उनके धन का बेहतर उपयोग करने में सहायता करता है, जो बदले में उन्हें वित्तीय मुद्दों से पीछे हटने के बिना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

क्या आप जानते हैं?

- गंगा नदी बेसिन भारत में सबसे बड़ा है, जो देश के 27% भूभाग को कवर करता है और इसकी लगभग 47% आबादी का भरण-पोषण करता है।
    - यह एक सीमा-पार नदी है जो विश्व के सबसे बड़े डेल्टा, सुंदरबन का निर्माण करती है, जो भारत और बांग्लादेश में फैला है।
- 11 राज्यों में फैले इस बेसिन में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 27% हिस्सा शामिल है।
- बेसिन का अधिकांश भाग, लगभग 65.57%, कृषि के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि जल निकाय 3.47% क्षेत्र को कवर करते हैं।
- वर्षा के संदर्भ में कुल जल इनपुट का 35.5% प्राप्त करने के बावजूद, गंगा नदी बेसिन भारत में साबरमती बेसिन के बाद दूसरा सबसे अधिक जल की कमी वाला बेसिन है, जिसमें प्रमुख भारतीय नदी बेसिनों में औसत प्रति व्यक्ति वार्षिक वर्षा जल इनपुट का केवल 39% है।

स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMCG)

- इसकी स्थापना 2011 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में की गई थी और प्रारंभ में यह राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करती थी।

- 7 अक्टूबर 2016 को एनजीआरबीए को भंग कर दिए जाने के बाद, गंगा नदी के कायाकल्प और संरक्षण की देखरेख के लिए राष्ट्रीय गंगा परिषद् का गठन किया गया था।
- गंगा कायाकल्प के प्रमुख ढाँचे में प्रदूषण से निपटने और पर्याप्त जल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर पाँच स्तरीय संरचना शामिल है।
- इस संरचना में भारत के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय गंगा परिषद् शामिल है।
    - केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में सशक्त टास्क फोर्स (ईटीएफ)।
    - राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी)।
    - राज्य गंगा समितियाँ।
    - गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे के क्षेत्रों में जिला गंगा समितियाँ।
- एनएमसीजी की दो स्तरीय प्रबंधन संरचना है, जिसमें एक शासी परिषद् और एक कार्यकारी समिति शामिल है, दोनों की अध्यक्षता एनएमसीजी के महानिदेशक करते हैं। कार्यकारी समिति ₹1000 करोड़ तक की परियोजनाओं को मंजूरी दे सकती है।

संबंधित कदम

- 'नमामि गंगे कार्यक्रम' एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा 'फ्लैगशिप कार्यक्रम' के रूप में अनुमोदित किया गया था, जिसका बजट परिव्यय 20,000 करोड़ रुपये है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण में प्रभावी कमी, संरक्षण और कायाकल्प के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करना है।

- **मुख्य स्तंभ:**

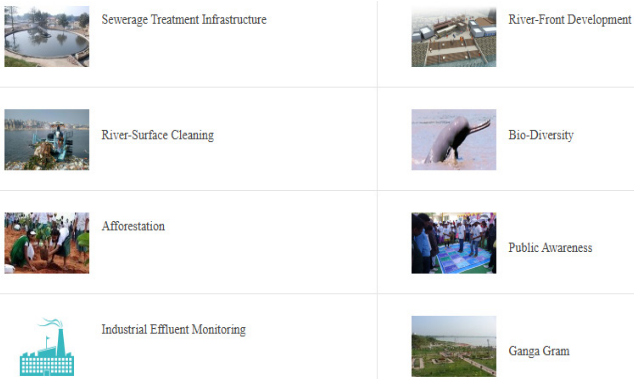

Source :IE

हरित हाइड्रोजन उत्पादन

संदर्भ

- शोधकर्त्ताओं ने उत्प्रेरक सतहों पर प्रोटॉन अवशोषण के संबंध में नई जानकारी प्राप्त की है, जिससे हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए अधिक कुशल इलेक्ट्रोकैटेलिस्ट का मार्ग प्रशस्त होगा।

हाइड्रोजन क्या है?

- हाइड्रोजन एक रासायनिक तत्त्व है जिसका प्रतीक H और परमाणु संख्या 1 है।
- हाइड्रोजन ब्रह्मांड का सबसे हल्का तत्त्व और सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ है, जो सभी सामान्य पदार्थों का लगभग 75% है।
- यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, गैर विषैली और अत्यधिक ज्वलनशील गैस है।

Hydrogen Colour	Mode of Production	Fuel	Carbon Intensity
Green Hydrogen	Electrolysis	Electricity from Wind, Solar, Geothermal, Tidal, Hydro	Near zero
Purple/Pink Hydrogen		Nuclear heat and electricity/Nuclear electricity in electrolysis	
Yellow Hydrogen		Solar electricity	
Blue Hydrogen	Steam Methane Reforming, Gasification + CCS	Natural gas and coal	Low
Turquoise Hydrogen	Pyrolysis	Natural gas	Medium/low – solid carbon by-product
Grey Hydrogen	Steam methane reforming (SMR)		Medium
Brown Hydrogen	Gasification	Coal – Brown: Lignite, Black: Black coal	Highest
Black Hydrogen			

ग्रीन हाइड्रोजन क्या है?

- **ग्रीन हाइड्रोजन:** इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पादित हाइड्रोजन, सौर या पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न विद्युत के साथ जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करना, ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में जाना जाता है।
- MNRE ग्रीन हाइड्रोजन को वेल-टू-गेट उत्सर्जन (यानी, जल उपचार, इलेक्ट्रोलिसिस, गैस शुद्धिकरण, हाइड्रोजन का सुखाने और संपीड़न सहित) के रूप में परिभाषित करता है जो 2 किलोग्राम CO2 समतुल्य / किलोग्राम H2 से अधिक नहीं है।
- गुजरात का कांडला बंदरगाह भारत का पहला बंदरगाह है, जिसमें स्वदेशी इलेक्ट्रोलाइज़र का उपयोग करके एक चालू ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र है।

चुनौतियाँ

- **परिवहन से जुड़े जोखिम:** गैसीय रूप में हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील होता है और इसे परिवहन करना कठिन होता है, जिससे सुरक्षा एक प्राथमिक चिंता बन जाती है।
- **उच्च उत्पादन लागत:** विद्युत की समतलीकृत लागत और इलेक्ट्रोलाइज़र लागत समग्र उत्पादन लागत को बढ़ाने वाले प्रमुख कारक हैं।
- **उत्पादन लागत में असमानता:** ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन लागत ($5.30- $6.70 प्रति किलोग्राम) और पारंपरिक ग्रे/ब्लू हाइड्रोजन उत्पादन लागत ($1.9-$2.4 प्रति किलोग्राम) के बीच पर्याप्त असमानता।
- **तकनीकी तत्परता:** भविष्य की प्रौद्योगिकियों से जुड़ी अपनाने की दरें और जोखिम कारक वित्तपोषण और उत्पादन को बढ़ाने के लिए चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन

- इस मिशन को 2023 में 19,744 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया था।
- इसका उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है।
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय मिशन के समग्र समन्वय और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा।
- ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम (SIGHT) के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप के तहत, दो अलग-अलग वित्तीय प्रोत्साहन तंत्र - इलेक्ट्रोलाइज़र के घरेलू विनिर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को लक्षित करना - मिशन के तहत प्रदान किए जाएंगे।

Source: PIB

ग्रीनहाउस गैसों उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य

संदर्भ

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रीनहाउस गैसों उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम, 2025 का मसौदा अधिसूचित किया है।

ग्रीनहाउस गैसों उत्सर्जन तीव्रता क्या है?

- GEI उत्पाद उत्पादन की प्रति इकाई (जैसे, सीमेंट या एल्युमीनियम के प्रति टन) उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों (GHGs) की मात्रा को संदर्भित करता है।
- जीएचजी में कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2), मीथेन (CH_4), नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O), ओजोन (O_3), और जल वाष्प के साथ-साथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs) और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (HCFCs) जैसी सिंथेटिक गैसें शामिल हैं।

- GEI को CO_2 समतुल्य (tCO_2e) के टन में मापा जाता है, जो सभी GHGs की वैश्विक तापन क्षमता के लिए एक मानक इकाई है।

GEI लक्ष्य नियम का मसौदा

- 2023-24 को आधार वर्ष और 2025-26 तथा 2026-27 को लक्ष्य वर्ष मानते हुए उत्सर्जन तीव्रता के लक्ष्य का लक्ष्य निम्न-कार्बन औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्सर्जन तीव्रता में क्रमिक कमी लाना है।
- मसौदा नियम चार अत्यधिक ऊर्जा-गहन क्षेत्रों में 282 औद्योगिक इकाइयों को लक्षित करते हैं: 13 एल्यूमीनियम संयंत्र, 186 सीमेंट संयंत्र, 53 लुगदी और कागज संयंत्र, तथा 30 क्लोर-क्षार संयंत्र।
- राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों के साथ संरेखण: यह 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने की भारत की प्रतिबद्धता का समर्थन करता है।

सरकारी पहल

- परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड योजना वर्ष 2012 में प्रारंभ की गई थी और यह एक बाजार आधारित तंत्र है जिसका उद्देश्य उद्योगों (जिन्हें नामित उपभोक्ता या डीसी कहा जाता है) को विशिष्ट ऊर्जा खपत में कमी के लक्ष्य अधिसूचित करके ऊर्जा-गहन उद्योगों में ऊर्जा दक्षता में सुधार करना है।
- कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम , 2023 कार्बन क्रेडिट बनाने, व्यापार करने और उपयोग करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। जो संस्थाएँ लक्ष्य से नीचे उत्सर्जन कम करती हैं, वे अधिशेष क्रेडिट बेच सकती हैं।

कार्बन बाज़ार

- कार्बन बाजार ऐसी प्रणालियाँ हैं जिन्हें कार्बन उत्सर्जन पर मूल्य निर्धारित करने और उत्सर्जन में कमी के लिए आर्थिक प्रोत्साहन बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिन्हें 'कार्बन क्रेडिट' भी कहा जाता है।
- कार्बन क्रेडिट एक तरह का व्यापार योग्य परमिट है, जो संयुक्त राष्ट्र के मानकों के अनुसार, वायुमंडल से हटाए गए, कम किए गए या अलग किए गए कार्बन डाइऑक्साइड के एक टन के बराबर होता है।
- क्योटो प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 17 के तहत, अधिशेष उत्सर्जन अनुमति वाले देश उन्हें अपने लक्ष्यों से अधिक उत्सर्जन करने वाले देशों को बेच सकते हैं, जिससे एक अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजार बनता है।

स्वैच्छिक ऑफसेट

- स्वैच्छिक ऑफसेट निजी व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले उपायों को संदर्भित करता है, जिसमें वनरोपण भी शामिल है, जो वाणिज्यिक परियोजनाओं के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को फंसा सकता है।
- ये भी कार्बन क्रेडिट उत्पन्न करते हैं और कंपनियाँ उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन लोगों को बेचती हैं, जिन्हें अनुपालन नियमों को पूरा करने की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष

- GEI लक्ष्य नियम का मसौदा भारत के औद्योगिक क्षेत्र को कम कार्बन विकास की ओर ले जाने में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- अनिवार्य लक्ष्यों को बाजार-संचालित दृष्टिकोण के साथ जोड़कर, भारत पर्यावरणीय स्थिरता को आर्थिक दक्षता के साथ जोड़ रहा है - जो कि इसकी जलवायु महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण संतुलन है।

Source: IE

संक्षिप्त समाचार

टाइक्सियन रीफ (सैंडी के रीफ)

संदर्भ

- दक्षिण चीन सागर विवाद तीव्र हो गया है क्योंकि चीन और फिलीपींस ने टाइक्सियन रीफ (सैंडी के रीफ) पर अपना दावा जताया है।

परिचय

- **स्थान:** यह दक्षिण चीन सागर में स्प्रैटली द्वीप शृंखला का एक हिस्सा है। यह थिटू द्वीप (पग-आसा) के करीब

स्थित है, जो फिलीपीन के नियंत्रण में है।

- चीन टिएक्सियन रीफ को नानशा द्वीप समूह का हिस्सा मानता है और फिलीपींस इसे सैंडी के कहता है।

- यह रीफ उच्च ज्वार के समय आंशिक रूप से जलमग्न हो जाती है और इसमें रेत के टीले होते हैं जो कभी-कभी समुद्र तल से ऊपर उठ जाते हैं।
- **सामरिक महत्त्व:** रीफ पर नियंत्रण से क्षेत्र में सैन्य और निगरानी क्षमता में वृद्धि होती है।

Source: TH

उच्चतम न्यायालय ने कहा, 'शरिया कोर्ट' को कोई कानूनी मान्यता नहीं है

समाचार में

- सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि शरिया अदालतों या काजी अदालतों को भारत में कोई कानूनी मान्यता नहीं है और उनके फैसले बाध्यकारी नहीं हैं।

शरिया अदालतें

- वे काजी के नेतृत्व में अनौपचारिक इस्लामी मंच हैं जो शरीयत (कुरान और पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं पर आधारित इस्लामी कानून) की व्याख्या करते हैं और विवाह, तलाक, विरासत और रखरखाव जैसे व्यक्तिगत मामलों पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
- वे मुख्य रूप से मध्यस्थता केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं, विशेषकर आर्थिक रूप से वंचित लोगों के लिए।
- हालाँकि, उनके फैसले कानूनी रूप से बाध्यकारी या लागू करने योग्य नहीं हैं, और उनके फैसले से असंतुष्ट कोई भी पक्ष नियमित अदालतों में सहारा ले सकता है।

उच्चतम न्यायालय का हालिया फैसला

- न्यायालय ने 2014 के विश्व लोचन मदन मामले का हवाला दिया और स्पष्ट किया कि ऐसे निकायों का कोई भी निर्णय तभी वैध है जब संबंधित पक्ष स्वेच्छा से उसे स्वीकार करें और वह मौजूदा कानूनों के साथ टकराव में न हो।
- न्यायालय ने एक मुस्लिम महिला को भरण-पोषण भत्ता दिया, जिसके पति ने शरिया अदालत के माध्यम से तलाक माँगा था।

Source :TH

SMILE कार्यक्रम

संदर्भ

- केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय के अनुसार, SMILE योजना के तहत भिक्षावृत्ति में संलग्न 10,000 से भी कम लोगों की पहचान की गई है।

परिचय

- **योजना का नाम:** आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के लिए सहायता (SMILE)।
- **शुरूआत वर्ष:** 2022।
- **कार्यान्वयन मंत्रालय:** केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।
- इसका एक घटक उप-योजना थी, जिसमें भिक्षावृत्ति के कार्य में लगे व्यक्तियों की पहचान, प्रोफाइल और उनकी सहमति से उनका पुनर्वास करना शामिल था।
- योजना का दूसरा घटक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सशक्तीकरण के लिए है।
- **उद्देश्य:** धार्मिक, पर्यटक और ऐतिहासिक शहरी स्थानों को "भिक्षावृत्ति मुक्त" बनाना।
  - वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक कम से कम 8,000 व्यक्तियों का पुनर्वास करना।
- **कार्यान्वयन चरण: चरण 1:** 30 शहरों (जैसे, अयोध्या, अमृतसर, नई दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ) में प्रारंभ हुआ।
  - **चरण 2:** दूसरे वर्ष में 50 और शहरों तक विस्तारित किया गया।
- **मुख्य डेटा (31 दिसंबर, 2024 तक):** भिक्षावृत्ति में लिप्त पहचाने गए व्यक्ति: 81 प्रमुख शहरों/कस्बों में 9,958 व्यक्ति।

- **पुनर्वासित व्यक्ति:** 970 व्यक्ति (352 बच्चों सहित)।
- **2011 की जनगणना के आंकड़े:** देश भर में 3.72 लाख भिखारियों की संख्या दर्ज की गई।
- **सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना 2011:** 6.62 लाख ग्रामीण परिवार भीख या भिक्षा पर निर्भर हैं।

Source: TH

LAC की जियोटैगिंग

समाचार में

- भारत पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर गश्त बिंदुओं और स्थलों की जियोटैगिंग कर रहा है।

क्या आप जानते हैं?

- एलएसी वह सीमांकन है जो भारतीय-नियंत्रित क्षेत्र को चीनी-नियंत्रित क्षेत्र से अलग करता है।
- भारत एलएसी को 3,488 किलोमीटर लंबा मानता है, जबकि चीनी इसे केवल 2,000 किलोमीटर के आसपास मानते हैं। इसे तीन सेक्टरों में विभाजित किया गया है:
  - पूर्वी सेक्टर जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तक फैला है,
  - मध्य सेक्टर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में है और
  - पश्चिमी सेक्टर लद्दाख में है।

जियोटैगिंग

- यह फोटोग्राफी जैसे विभिन्न मीडिया में भौगोलिक पहचान जोड़ने की एक प्रक्रिया है।
  - यह स्थान के आधार पर सामग्री को व्यवस्थित और साझा करने में सहायता करता है।
- आपदा प्रबंधन, कृषि और शहरी नियोजन जैसे क्षेत्रों में इसके अनुप्रयोग हैं।

नवीनतम घटनाक्रम

- एलएसी की जियोटैगिंग से चीन के साथ सीमा का स्पष्ट रूप से सीमांकन होगा, गश्त की दक्षता में सुधार होगा और टकराव से बचा जा सकेगा।
- यह प्रयास भारतीय और चीनी वार्ताकारों के बीच अक्टूबर 2023 के समझौते के बाद हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप सेना की वापसी हुई और 2020 के गतिरोध से उत्पन्न मुद्दों का समाधान हुआ।
- अब उपायों में सीमित गश्त (महीने में दो बार), पूर्व-साझा गश्ती योजनाएँ, शारीरिक संपर्क से बचना और दोनों पक्षों के सैन्य अधिकारियों के बीच संरचित बातचीत शामिल हैं।
  - ड्रोन, कैमरों और हेलीकॉप्टर उड़ानों के माध्यम से बढ़ी हुई निगरानी, साथ ही निरंतर बुनियादी ढाँचा विकास, इन प्रयासों का समर्थन करता है।

Source: IE

रिवाइव आवर ओशन पहल

संदर्भ

- स्थानीय कार्रवाई के माध्यम से प्रभावी, समुदाय-नेतृत्व वाले समुद्री संरक्षित क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए एक नई वैश्विक पहल, 'रिवाइव आवर ओशन' प्रारंभ की गई है।

परिचय

- **उद्देश्य:** तटीय समुदायों को अपने समुद्री स्थानों के प्रबंधन और संरक्षण से रोकने वाली प्रमुख बाधाओं को दूर करना।
- **दृष्टिकोण:** यह समुदायों को समुद्री संरक्षण का नेतृत्व करने के लिए प्रेरित, सक्षम और सुसज्जित करता है।
  - स्थानीय नेताओं और सफल समुदाय-नेतृत्व वाले समुद्री संरक्षण मॉडल को जोड़ने के लिए रिवाइव आवर ओशन कलेक्टिव बनाना।
  - इसने समुदाय-संचालित समुद्री संरक्षण परियोजनाओं के लिए ऋण और अनुदान प्रदान करने के लिए एक माइक्रोफाइनेंस कार्यक्रम प्रारंभ किया।

समुद्री संरक्षित क्षेत्र (MPAs)

- महासागरीय क्षेत्र समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए आरक्षित हैं, जो राष्ट्रीय प्राधिकरणों, स्थानीय सरकारों, गैर सरकारी संगठनों या सामुदायिक सह-प्रबंधन के माध्यम से शासित होते हैं।

- **वर्तमान स्थिति:** वैश्विक स्तर पर 16,000 से अधिक MPAs स्थापित हैं, जो विश्व के लगभग 8% महासागरों को कवर करते हैं।
    - हालाँकि, केवल 3% महासागर ही पूर्ण संरक्षण में हैं।
- **वैश्विक लक्ष्य:** कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (KMGBF) के 30X30 लक्ष्य का लक्ष्य 2030 तक 30 प्रतिशत महासागरों की रक्षा करना है।

समुदाय के नेतृत्व वाले MPAs के उदाहरण

- फिलीपींस में, RARE के फिश फॉरएवर कार्यक्रम ने 2,000 से अधिक समुदायों को नो-फिशिंग जोन स्थापित करने में सहायता की है।
- **मेडिस आइलैंड, स्पेन:** 1 वर्ग किलोमीटर के नो-फिशिंग जोन ने डाइविंग पर्यटन से सालाना 16 मिलियन यूरो अर्जित किए हैं, जो मत्स्यन से होने वाली आय का 25 गुना है।
- **आइल ऑफ एरन, स्कॉटलैंड:** नो-फिशिंग जोन के निर्माण से समुद्र तल पर जीवन दोगुना हो गया और आस-पास के जल को भी लाभ हुआ।

Source: DTE

सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व(STR)

संदर्भ

- ओडिशा सरकार ने जंगली मेलेनिस्टिक बाघों के लिए विश्व के एकमात्र आवास स्थल, सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है।

परिचय

- यह 107वाँ राष्ट्रीय उद्यान है और भितरकनिका के बाद राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है।
- 1980 में प्रस्तावित, सिमिलिपाल को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का इरादा चार दशकों से अधिक समय तक लंबित रहा।

सिमिलिपाल के बारे में

- ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित सिमिलिपाल, 40 रॉयल बंगाल टाइगर्स का आश्रय स्थल है, ओडिशा की 25% हाथी आबादी और 104 आर्किड प्रजातियों का आश्रय स्थल है, जिनमें से कई इस क्षेत्र में स्थानिक हैं।
- यह पक्षियों की 360 से अधिक प्रजातियों और तेंदुए, सांभर और मगरमच्छ जैसे विविध स्तनधारियों का आश्रय स्थल है।
- सिमिलिपाल के जंगल साल के पेड़ों, नम पर्णपाती और अर्ध-सदाबहार प्रकारों का मिश्रण हैं।
- सिमिलिपाल के बाघों में मेलेनिन का स्तर सामान्य से अधिक होता है, जिससे उनके बाल पीले धारियों के साथ अधिक काले होते हैं।
    - स्यूडो-मेलेनिस्टिक बाघ बंगाल बाघ का एक प्रकार है।
    - इसका अद्वितीय बाह्य आवरण एक विशेष जीन में उत्परिवर्तन का परिणाम है।

Source: IE

शहरी शोर से निपटने के लिए मकड़ियाँ जाल बनाती हैं: अध्ययन

संदर्भ

- नेब्रास्का-लिंकन विश्वविद्यालय के शोधकर्त्ताओं द्वारा करंट बायोलॉजी में प्रकाशित एक नए अध्ययन से पता चलता है कि किस प्रकार फनल-बुनाई मकड़ियाँ (एजेलेनोप्सिस पेनसिल्वेनिका) शहरी ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए अपने जालों को अनुकूलित करती हैं।

मुख्य निष्कर्ष

- शहरी मकड़ियाँ ऐसे जाले बनाती हैं जो संवेदी अधिभार को कम करने के लिए कंपन आवृत्तियों (300-1,000 हर्ट्ज) की एक विस्तृत शृंखला को कम करते हैं।
- ग्रामीण मकड़ियाँ ऐसे जाले बनाती हैं जो जैविक रूप से प्रासंगिक लंबी दूरी के कंपन (350-600 हर्ट्ज) को बढ़ाते हैं, जिससे शिकार का पता लगाना आसान हो जाता है।
- मकड़ियों के कान नहीं होते, वे शिकार का पता लगाने के लिए वेब कंपन का उपयोग करती हैं।
- वेब एक संवेदी विस्तार के रूप में कार्य करता है।

शहरी वन्यजीवन पर प्रभाव

- मकड़ियाँ व्यवहारिक प्लास्टिसिटी प्रदर्शित करती हैं - शोर जैसे पर्यावरणीय तनावों के जवाब में वेब-निर्माण को अनुकूलित करती हैं।
- इससे यह सवाल उठता है कि शहरीकरण किस तरह से जानवरों के व्यवहार और विकासवादी मार्गों को बदलता है।

Source: TH

SIPRI द्वारा सैन्य व्यय रिपोर्ट

समाचार में

- स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के अनुसार, 2024 में भारत का सैन्य व्यय 86.1 बिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगा, जो पाकिस्तान के 10.2 बिलियन डॉलर से लगभग नौ गुना अधिक है।

SIPRI सैन्य व्यय डेटाबेस

- यह 1949 से 2024 तक के देशों के लिए लगातार सैन्य व्यय के आँकड़े उपलब्ध कराता है, जिसे वार्षिक अपडेट किया जाता है।
- इसमें स्थानीय मुद्रा, स्थिर और चालू अमेरिकी डॉलर, और सकल घरेलू उत्पाद, सरकारी व्यय और प्रति व्यक्ति के हिस्से के रूप में आँकड़े शामिल हैं, जो ज्यादातर कैलेंडर वर्षों से जुड़े हैं।

हालिया रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- वैश्विक सैन्य व्यय 2024 में रिकॉर्ड 2,718 बिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगा।

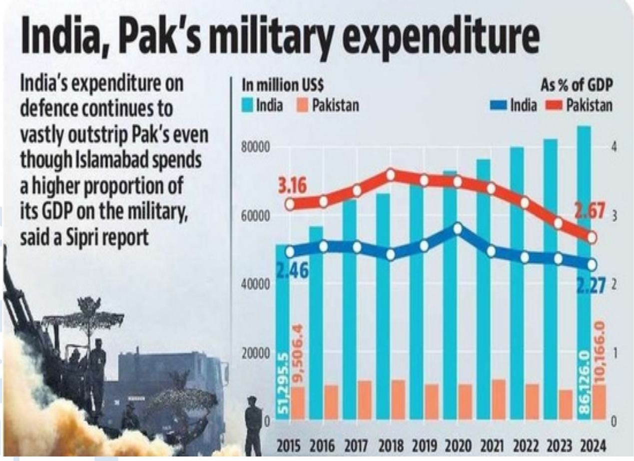

- वैश्विक सैन्य भार सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% तक बढ़ गया।
- यूरोप सबसे बड़ा चालक था, जिसने यूक्रेन में युद्ध के कारण व्यय में 17% की वृद्धि की।
- शीर्ष पाँच सैन्य व्यय करने वाले देशों (अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी और भारत) ने वैश्विक रक्षा व्यय का 60% हिस्सा व्यय किया।
- चीन ने 314 बिलियन डॉलर व्यय किए, जो एशिया के सैन्य व्यय पर हावी रहा, जबकि रूस का व्यय यूक्रेन में चल रहे युद्ध के दौरान 38% बढ़कर 149 बिलियन डॉलर हो गया।
- यूक्रेन ने 64.7 बिलियन डॉलर व्यय किए, जो उसके सकल घरेलू उत्पाद का 34% है - जो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक सैन्य भार है।

Source :TH

पद्म पुरस्कार

संदर्भ

- भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह-I में वर्ष 2025 के लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किए।

परिचय

- **पद्म पुरस्कार:** 1954 में स्थापित देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक, तीन श्रेणियों में प्रदान किया जाता है:
    - **पद्म विभूषण:** भारत में दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार।
    - **पद्म भूषण:** तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार।
    - **पद्म श्री:** चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार।
- इन्हें कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, खेल और सिविल सेवा सहित विभिन्न विषयों और गतिविधियों के क्षेत्रों में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।
- इनकी घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) को की जाती है।
- यह सभी व्यक्तियों के लिए खुला है, चाहे उनकी जाति, व्यवसाय, पद या लिंग कुछ भी हो। मरणोपरांत भी प्रदान किया जा सकता है।
- **चयन प्रक्रिया:**
    - राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों, पिछले पुरस्कार विजेताओं और जनता द्वारा सिफारिशें की जाती हैं।
    - धानमंत्री द्वारा प्रतिवर्ष गठित पद्म पुरस्कार समिति द्वारा प्रबंधित।
    - समिति की सिफारिशें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाती हैं।

Source: PIB

■■■■

NEXT IAS